२१ / . . २४ | 87/2024 | विविध

.33 4-2000-10 लाख फा.

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP
Crll

अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

मुकदमा जगदीश प्रा.प. अन्तर्गत धारा 128 L.R. Act नं० 87/2024 बनाम राज्य सरकार सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.7.24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप. अप्रार्थी बावजूद तामील उपस्थित नहीं। अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। बहस प्रार्थीगण वकील सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस प्रार्थीगण वकील पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 L.R. Act स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिख जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 30.7.24	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई

प्रकरण संख्या 87 / 2024
प्रकरण दायर दिनांक 13.06.2024
प्रकरण निर्णय दिनांक 30.07.2024

उनवान

1. जगदीश पुत्र रामधन
2. बद्री पुत्र रामधन
   समस्त जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी पीचूपाडा कलां तहसील बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा

" प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने बाबत अंतर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट"

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय से प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खाता संख्या नया 44 पुराना 43 खसरा नं. 1120 / 910 चाही ए रकबा 0.50 हैक्टेयर वाके रामा पीचूपाडा कलां पटवार हल्का पीचूपाडा कलां भू. अ.नि. क्षेत्र पीचूपाडा खुर्द तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 1120 / 910 रकबा 0.50 हैक्टेयर के लगती हुई अन्य खातेदारान की भूमि है तथा प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 1120 / 910 रकबा 0.50 हैक्टे. व अन्य खातेदारान की भूमि के मध्य कोई सीमा चिन्ह निर्धारित नहीं है इस कारण अन्य खातेदारान व प्रार्थीगण के मध्य अपनी—अपनी भूमि की सीमा को लेकर आपस में विवाद उत्पन्न होते रहते हे तथा संगीन झगडा फिसाद की संभावना बनी रहती है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण द्वारा अपनी कब्जेकाश्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 1120 / 910 रकबा 0.50 हैक्टेयर के सीमाज्ञान के लिए आवेदन करने पर दिनांक 20.05.2024 को आराजी खसरा नं. 1120 / 910 रकबा 0.50 हैक्टेयर का सीमाज्ञान मौके पर पटवारी हल्का पीचूपाडा कलां व अन्य राजस्व कर्मचारियों की टीम ने प्रार्थीगण की उपस्थिति में भूमि खसरा नं. 1120 / 910 रकबा 0.50 हैक्टेयर का सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 1120 / 910 रकबा 0.50 हैक्टेयर वाके ग्राम पीचूपाडा कलां के दिनांक 20.05.2024 को किये गये सीमाज्ञान के अनुसार भूमि खसरा नं. 1120 / 910 रकबा 0.50 हैक्टेयर की पत्थरगढी करवाना चाहते है। जिससे प्रार्थीगण व प्रार्थीगण की भूमि के अन्य पडौसी खातेदारान के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न ना हो व प्रार्थीगण अपनी भूमि खसरा नं. 1120 / 910 रकबा 0.50 हैक्टेयर पर शांतिपूर्वक काश्त कर लाभान्वित हो सके इसलिए प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 1120 / 910 रकबा 0.50 हैक्टेयर की पत्थरगढी तहसीलदार बांदीकुई व पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में

Scanned with OKEN Scanner

8/3/24
454/ 13.6.24

87
2024

विविध

करवाया जाना आवश्यक है जिससे प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 1120/910 रकबा 0.50 हैक्टेयर की सीमा के विवाद को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 1120/910 रकबा 0.50 हैक्टेयर वाके ग्राम पीचूपाडा कलां तहसील बांदीकुई की डौल पर पत्थरगढी का आदेश तहसीलदार बॉदीकुई को जारी फरमाया जावे एवं शीघ्र ही बइमदाद पुलिस पत्थरगढी के आदेश की पालना फरमाई जावे।

प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जर्ये नोटिस विधिवत की गयी। अप्रार्थी बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात व मौका पर्चा ग्राम पीचूपाडा कलॉ दिनांकः 20.05.2024 का अवलोकन किया। राजस्व जमाबंदी संवत् 2073-2076 ग्राम पीचूपाडा कलॉ खाता सं. नया 44 पुराना 43 के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। मौका पर्चा ग्राम पीचूपाडा कलॉ दिनांकः 20.05.2024 के अनुसार भूमि खसरा नं. 1120/910 रकबा 0.50 हैक्टेयर का सीमाज्ञान हो चुका है। सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी विधिवत करने में बाधा का कोई कारण नहीं है। भूमि सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी निर्धारित कराने का प्रार्थीगण को एल.आर. एक्ट. प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारात प्राप्त है। अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट. स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व मौका पर्चा सीमाज्ञान ग्राम पीचूपाडा कलॉ दिनांकः 20.05.2024 के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार बॉदीकुई प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 44 पुराना 43 खसरा नं. 1120/910 रकबा 0.50 हैक्टेयर स्थित ग्राम पीचूपाडा कलॉ तहसील बांदीकुई जिला दौसा का सीमाज्ञान दिनांक 20.05.2024 के अनुसार विधिवत पत्थरगढी मय राजस्व टीम भू. अ. निरीक्षक, पटवारी की गठित कर करावें। पत्थरगढी के दौरान मौके पर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस जाप्ता थानाधिकारी बॉदीकुई से प्राप्त करें। थानाधिकारी बॉदीकुई वांछित पुलिस जाप्ता तहसीलदार बांदीकुई को उपलब्ध करावें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

454 30.7.24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner